बिहार विधान परिषद् दैनिक विवरणिका

संख्या- 2 सत्र- 190वां

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख
मंगलवार, दिनांक 27.11.2018 ई.

माननीय कार्यकारी सभापति श्री मो. हारूण रशीद की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही आरंभ हुई।

12.00 मध्याह्न से 2.50 अपराह्न तक

1. कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट किया जाना एवं आसन का नियमन

सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही राजद के श्री सुबोध कुमार, माननीय मुख्य सचेतक, विरोधी दल ने राज्य में बढ़ रहे अपराध और विधि-व्यवस्था से संबंधित अपने कार्यस्थगन की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया। आसन से माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने नियमन देने की कृपा की कि श्री सुबोध कुमार, माननीय मुख्य सचेतक, विरोधी दल से प्राप्त कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अंतर्गत कार्यस्थगन प्रस्तावों की अस्वीकृति के आधार संख्या- 4, 5, 24 एवं 26 के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया है।

कार्यस्थगन के समर्थन में राजद के माननीय सदस्यगण (माननीया नेता, विरोधी दल, श्रीमती राबड़ी देवी एवं माननीय सदस्य, डा. रामचन्द्र पूर्वे को छोड़कर) सदन वेश्म में चले आये तथा सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए पोस्टर दिखाने लगे। जबकि कांग्रेस के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थानों पर खड़े रहे।

आसन से खड़े होकर माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने सदन वेश्म में आये माननीय सदस्यों को अपने स्थानों पर जाने तथा इस विषय को ध्यानाकर्षण के माध्यम से उठाने का अनुरोध किया कि आप ध्यानाकर्षण के माध्यम से आज इस विषय को दीजिए और कल सरकार इसका जवाब देगी, शून्यकाल होनेवाला है, परन्तु यथावत् नारेबाजी जारी रही। माननीय सदस्य, श्री प्रेमचन्द्र मिश्रा ने विश्व हिन्दू परिषद् की टिप्पणी की ओर आसन का ध्यान दिलाना चाहा, इसपर आसन से माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने अनुरोध किया कि ध्यानाकर्षण के माध्यम से इसे लाइये। आप उच्च सदन के सदस्य हैं, कृपया बैठें। माननीय मंत्री, श्री श्रवण कुमार, श्री मंगल पाण्डेय तथा श्री विनोद नारायण झा तथा सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों ने विरोध पक्ष के हंगामे पर आपत्ति व्यक्त की। परंतु, वेश्म से यथावत् नारेबाजी होती रही ।

2. प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 1, 3, 5, 6, 7, 10 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या- 4, 8 स्थगित हुए।
प्रश्न संख्या- 2, 9 व्यपगत हुए।

आसन का नियमन

आसन से माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने अल्पसूचित प्रश्न संख्या-7 पर नियमन देने की कृपा की कि माननीय सदस्य ने गरीबों से जुड़ा हुआ सवाल उठाया है, इसपर सरकार गंभीरता से विचार करे।

तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 1 उत्तरित हुआ।
प्रश्न संख्या- 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19 सदन पटल पर रखे गए।
प्रश्न संख्या- 7, 8, 12, 16, 17, 20, 21, 22 अनागत हुए।

3. औपचारिक कार्य

श्री गुलाम रसूल, अध्यक्ष, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक एवं संकल्प संबंधी समिति द्वारा समिति का 189वां प्रतिवेदन की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई एवं सदन की स्वीकृति प्रदान की गई।

4. परिनियत कार्य

1. माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा बिहार माल और सेवा कर अधिनियम एवं विद्युत शुल्क अधिनियम के अंतर्गत निर्गत अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

2. माननीय मंत्री, श्री मंगल पाण्डेय द्वारा राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर का वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 का महालेखाकार से प्राप्त पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन पर विश्वविद्यालय स्तर से की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

इस बीच सदन के व्यवस्थित नहीं होने की स्थिति में आसन से माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने सदन को 2.30 अपराह्न तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी।

(अंतराल)

सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही माननीय मुख्य सचेतक, विरोधी दल, श्री सुबोध कुमार ने अपने कार्यस्थगन की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट करना चाहा, जिसपर माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री श्रवण कुमार ने आपति व्यक्त की कि आसन से नियमन होने के बाद उसपर चर्चा नहीं हो सकती है। जिसके बाद राजद के माननीय सदस्यगण (डा. रामचन्द्र पूर्वे को छोड़कर) सदन वेश्म में चले आए तथा पोस्टर दिखाते हुए जोर-जोर से नारेबाजी करने लगे। इसपर माननीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सहित सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों ने भी प्रत्यारोप लगाना शुरू किया। डा. रामचन्द्र पूर्वे अपने स्थान से बोलते रहे जिसपर माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने यह नियमन देने की कृपा की कि अगर कानून-व्यवस्था पर आप बहस चाहते हैं तो ध्यानाकर्षण के माध्यम से लाइये, दो घंटे का एक दिन उसपर हम विशेष वाद-विवाद करा लेते हैं, जिसपर सरकार का उत्तर होगा। इसमें सारी बातें आ जाएंगी। परंतु यथावत् नारेबाजी जारी रही।

5. ध्यानाकर्षण

1. माननीय सदस्य, श्री रामईशबर महतो द्वारा सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सदर अस्पताल से लेकर रेफरल अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों की अनुपस्थिति के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री मंगल पाण्डेय ने वक्तव्य दिया।

2. माननीय सदस्य, श्री सोनेलाल मेहता द्वारा खगड़िया जिला में पेयजल आपूर्ति के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री विनोद नारायण झा ने वक्तव्य दिया।

आसन का अनुरोध

आसन से खड़े होकर माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने सभी माननीय सदस्यों ने वेश्म से अपने स्थान पर जाकर बैठने का अनुरोध किया, परंतु यथावत् नारेबाजी होती रही तथा प्रत्युत्तर में सत्तापक्ष के माननीय सदस्य भी नारेबाजी करने लगे।

3. माननीय सदस्य, श्री टुनजी पांडेय द्वारा सिवान जिलान्तर्गत सिवान प्रखंड के चैनपुर बाजार में चल रहे प्राथमिक स्वास्थ्य उप केन्द्र को सुव्यवस्थित करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाना।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

4. माननीय सदस्य, श्री राजेश राम द्वारा राज्य के गन्ना किसानों के हित में गन्ना मूल्य निर्धारण करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाना।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

5. माननीय सदस्य, श्री राम लषण राम 'रमण' एवं श्री रामचन्द्र भारती द्वारा राज्य में संविदा पर कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमित करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री मंगल पाण्डेय ने वक्तव्य दिया।

6. गैर सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर सरकारी संकल्प)

1. माननीय सदस्य, श्री रजनीश कुमार ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'प्राकृतिक एवं मानव-जनित आपदा दुर्घटना में एकल मृत्यु की स्थिति में भी मृतक के परिजन को चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करे।'

आसन से माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने अनुरोध किया कि संकल्प पर सरकार का उत्तर हो रहा है, कृपया बैठ जाएं, आसन को कोई बात मत कहें। कोई असंसदीय बात कार्यवाही में नहीं आएगी। कृपया बैठ जाइए। परंतु यथावत् नारेबाजी होती रही।

सदन के व्यवस्थित नहीं होने की स्थिति में आसन से माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने सदन को बुधवार, दिनांक 28.11.2018 को 12.00 मध्याह्न तक के लिए स्थगितकरने की घोषणा कर दी।

तत्पश्चात् परिषद् की बैठक बुधवार, दिनांक 28.11.2018 को 12.00 मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

27/11/2018

(सुभीम शर्मा)
मुख्य प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद् ।

ज्ञापांक- 1756(3) / वि.प. पटना, दिनांक 27.11.2018

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/ माननीय महाधिवक्ता, बिहार/ माननीय लोकायुक्त, बिहार/ बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष/ सभी राज्यों के विधानमंडलों के सचिव/ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली/ पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/ बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार/ अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमोद कुमार
27-11-2018

(प्रमोद कुमार)
वरीय प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद् ।